प्रेषक,

सदा कान्त,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता (विकास/ग्रामीण सड़क/परि0 एवं नि0)
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
(2) समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 5 जनवरी, 2007

विषयः- **प्रदेश में माफिया गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु रिट याचिका सं0-5018/एमएस/2005 चन्द्रिका प्रसाद निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका सं0-5153/एमएस/2005 भोला नाथ निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा <u>पारित आदेश दिनांक 09-11-06 के अनुपालन के संबंध में</u>।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका सं0-5018/एमएस/2005 चन्द्रिका प्रसाद निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका सं0-5153/एमएस/2005 भोला नाथ निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-11-06 के अनुपालन एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4435/छः -पु-14-06-50(7)/2006, दिनांक 02-11-06 में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धन्तों के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कायर्वाही सुनिश्चित की जाय।

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-6738/23-7-2006-176(सा0)/06, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 जारी कर दिया गया है जिसमें सभी बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. लोक निर्माण विभाग के कार्यों/निर्माण परियाजनाओं का ठेका किसी भी अपराधी व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो अथवा जिसके विरूद्ध अपराधिक

मुकदमें दर्ज हो अथवा जो माफिया गतिविधियों, गैंगस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित रहेगा। जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं वे भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

3. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा अन्य संभावित निविदाकर्ताओं को धमकाया जा रहा है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकृत ठेके को निरस्त कर दिया जायेगा और पुन: निविदा करके पूरी कार्यवाही की जायेगी। किसी ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है और जॉच में प्रमाणित पाया जाता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों तथा संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है जो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओं नोटिस अवश्य दिया जायेगा।

4. **लोक निर्माण विभाग में प्रचलित चरित्र प्रमाण-पत्र और हैसियत प्रमाण-पत्र** प्रसांगिक नहीं रह गये थे। अत: उन्हे निरस्त करते हुए नये प्रपत्र तैयार कर दिये गये हैं, जो संलग्न हैं। चरित्र प्रमाण-पत्र **PWD-T-4** तथा हैसियत प्रमाण-पत्र **PWD-T-5** के नाम से जाने जायेंगे। दोनों प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

5. लोक निर्माण विभाग में जो भी व्यक्ति अथवा संस्था ठेकेदारी कार्य करना चाहेगी उसे स्वघोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा। यह स्वघोषणा शपथ-पत्र **PWD-T-6** के नाम से जाना जायेगा। यह स्वघोषणा शपथ-पत्र 100/- रूपये (रू0 एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर दिया जायेगा यह स्वघोषणा शपथ-पत्र अनुबन्ध का अनिवार्य अंग है। बिना इसके कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6. **लोक निर्माण विभाग में कराये जाने वाले कार्यों तथा संबंधित टेण्डरों/अनुबनधों** का विवरण विभागीय वेबसाइट (**http://upgov.up.nic.in/ infotech/**) पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था अवश्य की जाय। इस संबंध में लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश शासनादेश संख्या -2487/23-1-2006, दिनांक 03 नवम्बर, 2006 द्वारा जारी कर दिये गये हैं। इसका कठोरता से अनुपालन सनिश्चित किया जाय।

7. लोक निर्माण विभाग में रूपये एक लाख से अधिक लागत वाली सभी कार्यो/निर्माण परियोजनाओं से संबंधित मुख्य बिन्दुओं अर्थात परियोजना का नाम, स्वीकृति एवं लागत पर धन आवंटन अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने एवं कार्य समाप्त होने की तिथि, ठेकेदार का नाम एवं

पता तथा कार्य की तकनीकी विशिष्टियों आदि विभागीय वेबसाइट (**http://upgov.up.nic.in/ infotech/**) पर अवश्य प्रदर्शित की जाय तथा इसका प्रचार-प्रसार अनय माध्यमों से भी किया जाय।

8. उपरोक्त जानकारी वेवसाइट पर डालने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड का होगा। जनपद में स्थित लोक निर्माण विभाग के अन्य खण्डों का उत्तरदायित्व होगा कि वे अनुबन्धों से संबंधित सूचनाएं वेवसाइट पर डालने हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड को सूचना समय से उपलब्ध करा देंगे। संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता और क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे समय-समय पर वेवसाइट को देखकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। पुन: यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी टेण्डर वेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. द्वितीय चरण में प्रवेश के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों और सभी अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करने और वहां पर इन्टरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यवस्था अलग से की जायेगी। तब तक विभागीय उपरोक्त वेवसाइट का उपयोग किया जाय।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में सभी टेण्डरों को निदेशक, सूचना को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है। सभी टेण्डर निदेशक, सूचना की वेवसाइट (**http://upgov.up.nic.in/ infotech/**) पर अवश्य प्रदर्शित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त निदेशक, सूचना द्वारा सभी प्रमुख समाचार पत्रों में भी टेण्डर का प्रकाशन किया जाता है। यह व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगा। इसका उद्देश्य यह है कि विभागीय टेण्डर और उसकी कार्य प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

11. लोक निर्माण विभाग में पूर्व में प्रचलित टेण्डर फार्म के प्रारूपों में व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। पूर्व में विभाग में प्रचलित प्रपत्र **GPW-8, GPW-9** तथा MF-69/70, MF79/97 MF-72 तथा को एतद्द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। उपरोक्त सभी प्रपत्र बहुत पुराने हो गये थे और अब प्रासंगिक नहीं रह गये थे। इनके स्थान पर तीन नये प्रपत्र लागू किये जा रहे हैं। इनका विवरण क्रमश: इस प्रकार है :-

(i) प्रपत्र संख्या-PWD-T-1 यह प्रपत्र चालिय लाख रूपये तक की धनराशि के कार्यों/निर्माण परियाजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा। इसकी प्रति संलग्न है।

(ii) प्रपत्र संख्या-PWD-T-2 यह प्रपत्र चालिय लाख से अधिक की धनराशि के कार्यों/निर्माण परियाजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा। इसकी प्रति संलग्न है।

(iii) प्रपत्र संख्या-PWD-T-3 यह प्रपत्र सामग्री की आपूर्ति के लिए उपयोग में लाया जायेगा। इसकी प्रति संलग्न है।

12. इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात् विभागीय कार्यों के लिए जो भविष्य में टेण्डर आदि आमंत्रित किये जायेंगे उसमें यह नई व्यवस्था लागू होगी। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो

कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है अथवा अेण्डर आदि की कार्यवाही हो गई है वह पुरानी व्यवस्था से ही पूरे किये जायेंगे। यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष 2077-08 में अर्थात 01 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष में इस नई परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार ही पूरी कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

13. टेण्डर की बिक्री जमा किये जाने की कार्यवाही म्नि 04 स्थानो से की जायेगी: (1) संबंधित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जहॉ से कार्य/निर्माण परियोजनाओं को सम्पादित किया जाना है। (2) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय (3) संबंधित मुख्य अभियन्ता (4) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का कार्यालय (कलेक्ट्रेट)। उपरोक्त 04 स्थानों से टेण्डर फार्म की बिक्री एवं जमा किये जाने की कार्यवाही होगी। इसके अतिरिक्त विभागीय वेवसाइट से लोड करके भी फार्म प्राप्त किये जा सकेगें।

14. इसके लिए टेण्डर फार्म की बिक्री तथा जमा किये जाने के लिए उपरोक्त सभी कार्यालयों में एक विशेष स्थान निर्धारित किया जायेगा जिसकी सूचना जनसामान्य को रहेगी और वहॉ नोटिस बोर्ड पर भी इसे प्रदर्शित किया जायेगा। कलेक्ट्रेट में इस कार्य के लिए अलग से स्थान निर्धारित करते हुए कर्मचारियों की ड्यिूटी भी जिलाधिकारी द्वारा लगाई जायेगी। कलेक्ट्रेट में इसका सुपरविजन अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

15. पैरा-12 में वर्णित चार स्थानों में टेण्उर की बिक्री और जमा करने की कार्यवाही की जायेगी किन्तु निविदा प्रपत्रों को खोलने की कार्यवाही केवल उक ही स्थान पर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय/कलेक्ट्रेट में ही की जायेगी। निविदा प्रपत्रों को खोलने के समय संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभिरयन्ता अवश्य उपस्थित रहेंगे। आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जायेगी और एक पूर्णतया सुरक्षित स्थान पर यह सब कार्यवाही टेण्डरदाताओं कर उपस्थिति में एक बडे हाल में की जायेगी। संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक निविदा खोलने के समय स्वयं उपस्थित रहेंगे। पूरी कार्यवाही पारदर्शी तरीके से पब्लिकली होगी। इस कार्य के लिए एक अपर जिलाधिकारी को अलग से प्रभारी नामित किया जायेगा जिसकी देखरेख में यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

16. कलेक्ट्रेट में निविदा के पश्चात् यथा संभव उस पर निर्णय तुलनात्मक चार्ट आदि बनाकर सबके सामने सक्षम अधिकारी द्वारा ले लिया जायेगा और इस जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जायेगा। विभागीय नियमों के अन्तर्गत अेण्डर खोलने की कार्यवाही एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें संबंधित अधिशासी अभियन्ता, दूसरे खण्ड के एक अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित अधीक्षण अभियन्ता सदस्य होते है। यह समिति पूर्ववत् रहेगी। किन्तु कलेक्ट्रेट में निविदा खोलने की कार्यवाही उपरोक्त समिति के करने के पश्चात् संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा एक अपर जिलाधिकारी जिन्हें प्रभारी बनाया जायेगा, उनके द्वारा तुलनात्मक चार्ट तथा अन्य अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे। अभिलेखों की पवित्रता (Sanctity) पर विशेष ध्यान दिया जाय।

17. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् सभी अभिलेखों को प्राप्त करने की कार्यवाही और औपचारिकतायें आदि पूरी करने की कार्यवाही यथाशीध्र संबंधित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में विभागीय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। किन्तु प्रत्येक दशा में यह औपचारिकताएं 15 दिनों में अवश्य पूरी कर ली जायेगी। यदि इससे अधिक विलम्ब होता है तो इसके लिये जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियन्ता की होगी। अत: समय से सारी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगी। अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता भी विलम्ब के लिए दोषी माने जायेंगे।

18. टेण्डर को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने अथवा उस पर अन्तिम निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से अभियन्ताआंको अधिकृत किया गया है:

अधिकारी	कार्य की लागत
सहायक अभियन्ता	रू0-02.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
अधिशासी अभियन्ता	रू0-40.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
अधीक्षण अभियन्ता	रू0-01.00 करोड तक की लागत वाले कार्य।
मुख्य अभियन्ता	रू0-01.00 करोड से ऊपर की लागत वाले कार्य।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-ए-2-1602/दस-95-24(14)95, दिनांक 01 जून, 1995 उल्लेखनीय है। इसका कठोरता से पालन किया जाय। रू0-40.00 लाख के कार्यो हेतु 5% जमानत राशि निविदा के समय ही जमा की जायेगी। यह अनिवार्य है।

19. अनेकों ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति दिखते हुए हैसियत प्रमाण्-पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं। कई बार एक ही हैसियत प्रमाण-पत्र का उपयोग कई टेण्डरों में किया जाता है। अत: सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि हैसियत प्रमाण-पत्र बहुत गहराई से छानबीन और जॉच के पश्चात् जारी किया जाय। कुछ प्रमाण पत्रों को समय-समय पर उच्चस्तरीय टीम गठित करके जॉच भी करायी जाती रहे। इन हैसियत प्रमाण-पत्र को बैंक से और आयकर विभाग से पुष्टि भी करायी जाये।

20. किसी भी अधिवक्ता को जो राज्य बॉर कौंसिल में पंजीकृत हो लोक निर्माण विभाग कार्यो को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत नही किया जायेगा। राज्य बॉर कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी का कार्य करने की अनुमति अधिवक्ता अधिनियम में नहीं है। अत: यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग न करने पाये। उनके आवेदन/टेण्डर फार्म निरसत कर दिये जायें। यदि ठेका/पट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है तो भी ऐसा ठेका/पट्टा तत्काल प्रभाव से निरसत कर दिया जाय।

21. कभी-कभी ठेकेदारों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Unhealthy Comptition) के कारण कार्य की अनुमानित लागत से काफी नीचे की बोली/दरें दे दी जाती हैं। ऐसी दशा में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ और मानकों के अनुरूप कार्य पूरा किया जाना संभव नहीं हो पायेगा तो सक्षम

अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से इसका विस्तृत विवरण मॉगे कि वह क्यों इतनी कम दरें दे रहा है और इतनी कम लागत पर उस परियोजना को कैसे पूरा कर सकेगा। यदि इस आशंका की पुष्टि हो जाती है कि ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो वह मेरटि कें आधार टेण्डर को निरस्त कर सकते हैं। किन्तु इस संबंध में एक तथ्यात्मक और Speaking order पास करेंगे जिसमें सभी तथ्यों को उल्लेख किया जायेगा कि टेण्डर को क्यों निरस्त किया जा रहा है।

22. सामान्यत: यह भी देखने में आता है कि अभियन्ताओं द्वारा जानबूझकर एक कार्य को छोटे-छोटे कार्यो में विभाजित करके कम लागत के बहुत से अनुबन्ध बना दिये जाते है। इसके कारण जहॉ बहुत से ठेकेदार एक कार्य में लागये जाते हैं वहीं पर गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। सामान्यत: इसका उद्देश्य बहुत से ठेकेदारेां को समायोजित करने का रहता है। अत: राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी मूल (Original) कार्यो के लिए सामान्यत: एक कार्य एक टेण्डर कास सिद्धान्त अपनाया जाय। यहद किसी विशेष परिस्थितियों में छोटे टेण्डर करने की आवश्यकता होती है तो अधिशासी अभिनरूता का तथ्यात्मक रिपोर्ट और स्पष्ट संस्तुति के आधार पर इसका निर्णय संबंधित अभियन्ता द्वारा लिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता द्वारा इस संबंध में न्यूनतम दो पृष्ठों का सुविचारित और Speaking order पास किया जायेगा कि ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है। उसमें अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख किया जायेगा। यह व्यवस्था विभागीय हॉटमिक्स प्लान्ट, नवीनीकरण, पैच रिपेयर तथा अनुरक्षण आदि पर लागू नही होगी।

23. लोक निर्माण विभाग के कार्यो/निर्माण परियोजनाओं का ठेका प्राप्त करने के लिए वर्तमान में विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही अधिकृत हैं। यह व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी। लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विभाग के कार्यो को करने तथा ठेका प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

24. उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कडाई से अनुपालीन सुनिश्चित किया जाय ताकि राज्य के विकास और निर्माण कार्यो पर अपराधिक गतिविधियों का दुष्प्रभाव न पडे और वे विकास में बाधक न बनें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सदा कान्त)
सचिव

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2007

विषयः- **लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण के नियमों में संशोधन किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यमाल महोदय शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 2365एमएस/23-पी.डब्लू.-41एम.एस./1954 दिनांक 24.08.1982 द्वारा प्राख्यापित ठेकेदारों के वर्गीकरण पंजीकरण नियमावली 1982 के अपेन्डिक्स 'ए', 'बी', 'ई' तथा 'एच' को संशोधित करते हुए निम्न विवरण के अनुसार अपेन्डिक्स 'ए', 'बी', 'ई' तथा 'एच' प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

वर्तमान एपेन्डिक्स 'ए'
(नियम-2-1)
किसी श्रेणी विशेष में पंजीकृत ठेकेदार निम्न तालिका में अंकित कार्य सीमा से अनधिक की निविदा देने के लिए अधिकृत होगें :-

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन	असीमित	रू0 15.00 लाख	रू0 5.00 लाख	रू0 2.00 लाख
(2)	सेतु	--------	--------	--------	--------
(3)	मार्ग	--------	--------	--------	--------
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	रू0 0.50 लाख	रू0 0.10 लाख	--------
3.	विधुत कार्य	तदैव	रू0 1.00 लाख	रू0 0.20 लाख	--------
4.	यांत्रिक कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	रू0 0.50 लाख

संशोधित एपेन्डिक्स 'ए'
(नियम-2-1)
किसी श्रेणी विशेष में पंजीकृत ठेकेदार निम्न तालिका में अंकित कार्य सीमा से अनधिक की निविदा देने के लिए अधिकृत होगें :-

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन	रू0 50.00 लाख से अधिक	रू0 50.00 लाख	रू0 25.00 लाख	रू0 10.00 लाख
(2)	सेतु	तदैव	रू0 50.00 लाख	रू0 25.00 लाख	रू0 10.00 लाख
(3)	मार्ग	तदैव	रू0 50.00 लाख	रू0 25.00 लाख	रू0 10.00 लाख
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	रू0 0.50 लाख	रू0 0.10 लाख	--------
3.	विधुत कार्य	तदैव	रू0 1.00 लाख	रू0 0.20 लाख	--------
4.	यांत्रिक कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	रू0 0.50 लाख

वर्तमान एपेन्डिक्स 'बी'

(नियम-4)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम हैसियत

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन	रू0 3.00 लाख	रू0 2.00 लाख	रू0 1.00 लाख	रू0 0.50 लाख
(2)	सेतु	--------	--------	--------	--------
(3)	मार्ग	--------	--------	--------	--------
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रू0 0.25 लाख	रू0 0.15 लाख	रू0 0.05 लाख	--------
3.	विधुत कार्य	रू0 1.00 लाख	रू0 0.25 लाख	रू0 0.05 लाख	--------
4.	यांत्रिक कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	--------

वर्तमान एपेन्डिक्स 'बी'

(नियम-4)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम हैसियत

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन	रू0 15.00 लाख	रू0 10.00 लाख	रू0 5.00 लाख	रू0 2.50 लाख
(2)	सेतु	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
(3)	मार्ग	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रू0 0.25 लाख	रू0 0.15 लाख	रू0 0.05 लाख	--------
3.	विधुत कार्य	रू0 1.00 लाख	रू0 0.25 लाख	रू0 0.05 लाख	--------
4.	यांत्रिक कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	--------

वर्तमान एपेन्डिक्स (ई)

(नियम-4)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु तालिका में दर्शाये गये कम से कम पांच कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का अनुभव होना चाहिए।

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन				
(2)	सेतु	रू0 10.00 लाख	रू0 5.00 लाख	रू0 1.00 लाख	रू0 0.25 लाख
(3)	मार्ग				
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रू0 0.25 लाख	रू0 0.05 लाख	रू0 0.02 लाख	--------
3.	विधुत कार्य	--------	--------		
4.	यांत्रिक कार्य	रू0 0.25 लाख	रू0 0.05 लाख	रू0 0.02 लाख	--------

वर्तमान एपेन्डिक्स (ई)

(नियम-4)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु तालिका में दर्शाये गये कम से कम पांच कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का अनुभव होना चाहिए।

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन	रू0 20.00 लाख	रू0 10.00 लाख	रू0 2.00 लाख	रू0 0.50 लाख
(2)	सेतु	रू0 20.00 लाख	रू0 10.00 लाख	रू0 2.00 लाख	रू0 0.50 लाख
(3)	मार्ग	रू0 20.00 लाख	रू0 10.00 लाख	रू0 2.00 लाख	रू0 0.50 लाख
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रू0 0.25 लाख	रू0 0.05 लाख	रू0 0.02 लाख	--------
3.	विधुत कार्य	--------	--------	--------	--------
4.	यांत्रिक कार्य	रू0 0.25 लाख	रू0 0.05 लाख	रू0 0.02 लाख	--------

वर्तमान एपेन्डिक्स (एच)

(नियम-13)

(सामान्य जमानती धनराशि)

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन	रू0 50000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 20000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 7500/- अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 2500/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
(2)	सेतु				
(3)	मार्ग				
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रू0 2000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 1000/- अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 500/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	
3.	विधुत कार्य	रू0 20000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 10000/- अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 2000/- अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक	
4.	यांत्रिक कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	रू0 1000/- अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक

वर्तमान एपेन्डिक्स (एच)

(नियम-13)

(सामान्य जमानती धनराशि)

	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1.(1)	भवन	रू0 2,50000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 1,00000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 37,500/- अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 12,500/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
(2)	सेतु	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
(3)	मार्ग	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रू0 2000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 1000/- अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 500/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	
3.	विधुत कार्य	रू0 20000/- मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 10000/- अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रू0 2000/- अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक	
4.	यांत्रिक कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	रू0 1000/- अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक

उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है :-

(1) यदि पंजीकरण कराने वाले किसी ठेकेदार का अपराधिक इतिहास पाया जाय तो उसका पंजीकरण न किया जाय तथा पूर्व मं पंजीकृत ठेकेदार का अपराधिक इतिहास पाये जाने पर उसका पंजीकरण निरसत कर दिया जाय।

(2) यदि यह पाया जाता है कि कोई ठेका किसी वयक्ति के नाम स्वीकृत किया गया है परन्तु वास्तव में वह कार्य किसी अन्य अपराधी व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को दिये गये ठेके निरस्त कर दिये जाय।

(3) अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदारों का पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत की धनराशि तथा सामान्य धनराशि की निर्धारित सीमा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाय।

(4) वर्तमान टेण्डर प्रणाली में व्यापक संशोधन किये जाय, जिसमें टेण्डर खरीदने के बजाय सुगमता से विभिन्न स्थलों तथा इन्टरनेट पर उपलब्ध कराये जाने तथा विभिन्न स्थलों यथा जिलाधिकारी कार्यालय/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि में टेण्डर अभिलेख डालने की व्यवस्था किये जाने के प्राविधान किए जाय।

3. उक्त नियमावली उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय। शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आलाक सिन्हा)
प्रमुख सचिव

संख्या - 3503(1)/23-7-2002-तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि गोपन अनु0-1 को उनके पत्र सं0 4/2/13/2002/सीएक्स(1), दिनंाक 09.08.2002 के सन्दर्भ में।

प्रतिलिपि लो0नि0अनु0-9।

आज्ञा से,

(ए0एच0 अन्सारी)
संयुक्त सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक-7528एम.टी./454एम-18/86 दिनांक-16.09.2002

1. प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0/राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ

(त्रिभुवन राम)
प्रमुख अभियन्ता

संख्या-3460/23-7-08-41एम.एस.ए./54टी.सी./III

प्रेषक,

श्री गजेन्द्र पाल,
सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता विकास
लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ
2. समस्त आयुक्त/जिला अधिकारी
उत्तर प्रदेश
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश
4. समस्त मुख्य अभियन्ता
लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2008**

विषयः- डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के कार्यों के त्वरित प्रबंधन हेतु निविदा सीमा, हैसियत एवं जमानती धनराशि में परिवर्तन/संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-186एम.टी.जी./101एम.टी./98 दिनांक 10.07.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों की निविदा सीमा उनकी हैसियत (सॉल्वेन्सी) तथा जमानती राशि की व्यवस्था लो0नि0वि0 में ठेकेदारों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण नियमावली-1982 में क्रमशः एपेन्डिक्स 'ए' (रूल 2-1) एपेन्डिक्स 'बी' (रूल 4) एवं एपेन्डिक्स 'एच' (रूल 13) में निर्धारित है। वर्तमान में मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा विभाग का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। इस दृष्टि से से उक्त ठेकेदारों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण नियमावली-1982 में निर्धारित धनराशि की सीमा में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है। इस दृष्टि से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ठेकेदारों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण नियमावली-1982 में निर्धारित निविदा सीमा हैसियत (साल्वेंसी) एवं जमानती राशि को तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1- विभिन्न कैटेगरी के क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी एवं क्लास ई के ठेकेदारों के लिए निर्धारित निविदा सीमा :-

	कैटेगरी	क्लास ए	क्लास बी	क्लास सी	क्लास डी	क्लास ई
I(1)	ब्रिजेस और रोड्स	असीमित	रू0-2.00 करोड़	रू0-75.00 लाख	रू0-40.00 लाख	रू0-5.00 लाख
II	बिल्डिंग सैनीटरी एवं वाटर साप्लाई	तदैव	रू0-2.00 करोड़	रू0-75.00 लाख	रू0-40.00 लाख	रू0-5.00 लाख
III	इलेक्ट्रिक/मेकेनिकल वर्क्स	तदैव	रू0-5.00 लाख	रू0-2.5 लाख	रू0-1.00 लाख	------
IV	रोड साइनेज वर्कस	तदैव	रू0-5.00 लाख	------	------	------

2- विभिन्न कैटेगरी के क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी एवं क्लास ई के ठेकेदारों के लिए निर्धारित हैसियत (साल्वेंसी) सीमा :-

	कैटेगरी	क्लास ए	क्लास बी	क्लास सी	क्लास डी	क्लास ई
I(1)	ब्रिजेस और रोड्स	रू0-50.00 लाख	रू0-40.00 लाख	रू0-20.00 लाख	रू0-5.00 लाख	------
II	बिल्डिंग सैनीटरी एवं वाटर साप्लाई	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	------
III	इलेक्ट्रिक/मेकेनिकल वर्क्स	रू0-40.00 लाख	रू0-2.00 लाख	रू0-1.00 लाख	------	------
IV	रोड साइनेज वर्कस	रू0-15.00 लाख	रू0-2.50 लाख	------	------	------
V	लेबर वर्क	------	------	------	------	रू0-10 हजार

3- विभिन्न कैटेगरी के क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी एवं क्लास ई के ठेकेदारों के लिए निर्धारित जमानती राशि की सीमा :-

	कैटेगरी	क्लास ए	क्लास बी	क्लास सी	क्लास डी	क्लास ई
I(1)	ब्रिजेस और रोड्स	रू0-5.00 लाख मु0 अभि0 को बंधक	रू0-2.00 लाख मु0 अभि0 को बंधक लाख	रू0-1.00 लाख अधी0 अभि0 को बंधक	रू0-50.00 हजार अधि0 अभि0 को बंधक	------
II	बिल्डिंग सैनीटरी एवं वाटर साप्लाई	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	------
III	इलेक्ट्रिक/मेकेनिकल वर्क्स	रू0-1.00 लाख मु0 अभि0 को बंधक लाख	रू0-50.00 हजार अधि0 अभि0 को बंधक	रू0-5.00 हजार अधी0 अभि0 को बंधक	------	------
IV	मैकनिकल वर्कस	तदैव	तदैव	तदैव	रू0-2.50 हजार अधि0 अभि0 को बंधक	------
V	रोड साइनेज वर्कस	रू0-15.00 लाख	रू0-37.50 हजार अधी0 अभि0 को बंधक	------	------	------
VI	लेबर वर्क	------	------	------	------	रू0-2.5 हजार अधि0 अभि0 को बंधक

2- ठेकेदार जनरल सिक्योरिटी के विरूद्ध टेण्डर दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं होगें। टेण्डर के समय पूरा 10 प्रतिशत या 05 प्रतिशत टेण्डर की धनराशि एन.आई.टी. के अनुसार टेण्डर के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ठेकेदार जनरत सिक्योरिटी की 2 प्रतिशत धनराशि टेण्डर के साथ जमा करेंगे, तथा अवशेष धनराशि टेण्डर स्वीकृत होने पर जमा करेंगे तथा हैसियत सीमा जमा करेंगे, तथा अवशेष धनराशि टेण्डर स्वीकृत होने पर जमा करेंगे तथा हैसियत सीमा में 50 प्रतिशत छूट के हकदार होगें।

3- लो0नि0वि0 के कार्यों/निर्माण परियोजनाओं का ठेका प्राप्त करने के लिए वर्तमान में विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही अधिकृत है। यह व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी। लो0नि0वि0 के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विभाग के कार्यों को करने तथा ठेका प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी। ठेकेदारों के वगर्तीकरण एवं पंजीकरण नियमावली-1982 के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था के क्रम में ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली-1982 के संगत नियमों में यथासमय संशोधन किया जायेगा।

भवदीय

(गजेन्द्र पाल)
सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक-715कैम्प प्र0अ0विकास/55 अम्बेडकर ग्राम/2008 दिनांक-29.07.2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्यालय पर स्थित समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश।

(ओ0एस0कदम)
कृते प्रमुख अभियन्ता